वाद सं. 170/13

इलाऊ V/S ग्राम पंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.5.15	पत्रावली आज पेश हुजूर में पेश। पैरोकार सरकार का जवाब पेश / वादिया उपस्थित। वादिया ने ग्राम बोरखेड़ा बताया कि ग्राम बोरखेड़ा कि आराजी नम्बर 16/5 रकबा 05 बीघा वादिया के पति भूरा उर्फ गोकुल नाई काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे / उनकी मृत्यु उपरांत वादिया काबिज होकर काश्तकार उपयोग उपभोग करती चली आ रही है परन्तु आराजी नम्बर 09 रकबा 192 बीघा 18 बिस्वा में मेरे पति का नाम निलोपित कर उक्त 05 बीघा भूमि को चरागाह में दर्ज कर दिया गया है, अतः आ.नं. 9 रकबा 192 बीघा 18 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि पर मुझे खातेदार काश्तकार घोषित कर चरागाह से हटा कर इन्द्राज दुरुस्ती कर वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक अंकन किया जावे/ पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया की वादिया द्वारा 40 वर्ष पश्चात वाद दायर किया गया। वादिया अपने पति को ग्राम बोरखेड़ा की साबिक आ.नं. 16/5 में 5 बीघा भूमि आवंटन होना बताती है जिसका हाल नम्बर 9 रकबा 192 बीघा 18 बिस्वा किस्म चरागाह बनती है, मिलान खसरा जो वादिया ने प्रस्तुत किया उसमें ग्राम बोरखेड़ा के हाल आ.नं. 9 के साबिक नम्बर 16/1 अंकित है और मिलान नहीं खाते है वाद खारिज कराना फरमावें/ वादिया का वाद पत्र पैरोकार सरकार का अवलोकन किया गया, वादिया का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया/ पत्रावली फैसला शुमार होकर जमा रिकार्ड में जमा हो/ (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मण्डल	